न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 48/2024

उनवान

1. नौसर पुत्री माना,
2. प्रेम पत्नी लादू,
3. शकर पुत्र राजू,
4. निरमा पत्नी शंकर जाति रावत नि0 अन्सरी, नसीरीबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश पुत्र भागू,
2. छोटू पुत्र हीरा,
3. नारायण पुत्र भागू,
4. मंजू पुत्री लादू,
5. मेवा,
6. रामा,
7. लाला,
8. शंकर पि0 भागू
9. सोनू उर्फ संगीता पुत्री लादू जाति रावत नि0 ग्राम असंरी नसीराबाद,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 9 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
10 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.5.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी में स्थित खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने जरियें अधिवक्ता राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादीगण द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से पक्षकार के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राजीनामा में वादीगण व प्रतिवादीगण को अलग–अलग खसरा नम्बर दिये गये है किन्तु राजीनामा में आराजी मुतनाजा का मानचित्र पेश नही किया है जिसे खसरा नम्बर का कौन सा हिस्सा किस खातेदार का दिया जाना है स्पष्ट नही होता है। अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः ग्राम असंरी में स्थित खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौसर बनाम कैलाश

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 48/2024
पेश करने की दिनांक – 12.03.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक रणजीत रवत व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम असंरी में स्थित खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद